


क्रि०मि०केश नं०- 18 / 2019

5/1/2021


अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलाकन किया। अवलाकनापरात स्पष्ट हाता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि बीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारों से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

उपस्थापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

भारत


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
भारत